# गृह विभाग

(पुलिस)

अनुभाग-1

प्रकीर्ण

24 जुलाई, 1982 ई0

सं0 466/आठ-1-2233-64—संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्स्टेबुलरी ऐक्ट, 1948 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा में पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :—

## उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982

### भाग एक—सामान्य

1—(एक) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 1982 कही जायगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "ग" और "घ" के पद सम्मिलित हैं।

3—परिभाषायें—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40, सन् 1948) से है ;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड), सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियो अधिकारी और रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी और रेडियो निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से है ;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के इस प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त अधिनियम, नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) "सचिव" का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग से है ;

(झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा, से है ;

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेश द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

### भाग दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, उतनी होगी जितनी नीचे उल्लिखित है :—

| | स्थायी | अस्थायी | योग |
|---|---|---|---|
| 1—कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड) .. | 64 | 12 | 76 |
| 2—सहायक परिचालक .. | 764 | 535 | 1299 |
| 3—प्रधान परिचालक .. | 1500 | 688 | 2188 |
| 4—रेडियो स्टेशन अधिकारी .. | 120 | 124 | 244 |
| 5—रेडियो अनुरक्षण अधिकारी .. | 86 | 35 | 121 |
| 6—रेडियो निरीक्षक .. | 19 | 34 | 53 |

परन्तु—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

### भाग तीन—भर्ती

5—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के निम्नलिखित स्रोत होंगे :—

(1) कर्मशाला कर्मचारी — सीधी भर्ती द्वारा।

(2) सहायक परिचालक — [redacted]

(दो) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे स्थायी कर्मशाला कर्मचारियों में से, जिन्होंने श्रेणी तीन परिचालक पाठ्य-क्रम सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया हो, पदोन्नति द्वारा ; परन्तु यदि उपयुक्त पात्र कर्मशाला कर्मचारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।

टिप्पणी—पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को, ज्येष्ठता क्रम में, श्रेणी तीन परिचालक पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति दी जायगी और, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक भावी रिक्ति के लिए यथासम्भव पांच व्यक्ति तक उक्त पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायंगे।

205

16

| | |
|---|---|
| (3) प्रधान परिचालक | स्थायी सहायक परिचालकों में से पदोन्नति द्वारा। |
| (4) रेडियो स्टेशन अधिकारी | (एक) सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 15 में उपबन्धित हैं । (दो) स्थायी प्रधान परिचालकों में से पदोन्नति द्वारा है; परन्तु दोनों स्रोतों से भर्ती इस प्रकार की जायगी कि संवर्ग में 75 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत हो । |
| (5) रेडियो अनुरक्षण अधिकारी | (एक) सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 15 में उपबन्धित हैं । (दो) स्थायी रेडियो स्टेशन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा : परन्तु दोनों स्रोतों से भर्ती इस प्रकार की जायगी कि संवर्ग में 75 प्रतिशत पद पदोन्नति व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत हों । |
| (6) रेडियो निरीक्षक | स्थायी रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा । |

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

## भाग चार—अर्हताएं

7—राष्ट्रिकता—सेवा में भर्ती के लिए यह आवश्यक हैं कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका और केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (घ) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले ।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—शैक्षिक अर्हता—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक हैं कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हतायें रखता हो :—

कर्मशाला कर्मचारी—हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जो पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिए उपयोगी हो या कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

सहायक परिचालक—विज्ञान विषय के साथ हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो । ऐसे अभ्यर्थियों को जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त रेडियो प्रौद्योगिक संस्था का प्रमाण-पत्र हो या जिन्हें बेतार प्रौद्योगिक अनुभव हो, अधिमान दिया जायगा ।

रेडियो स्टेशन अधिकारी—भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी० एस०-सी० परीक्षा उत्तीर्ण की हो । ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त रेडियो प्रौद्योगिक संस्था का प्रमाण पत्र हो, अधिमान दिया जायगा। बेतार प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक अनुभव भी एक अधिमानी अर्हता होगी ।

रेडियो अनुरक्षण अधिकारी—भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी० एस-सी० परीक्षा उत्तीर्ण की हो । ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके पास रेडियो में डिप्लोमा या प्रथम श्रेणी तकनीशियन का प्रमाण-पत्र हो या जो वृत्तिक संस्था का स्नातक सदस्य (ग्रेजुएट मेम्बरशिप आफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन्स) हो, अधिमान दिया जायगा।

9—अधिमानी अर्हता—ऐसे अभ्यर्थी को जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा।

10—आयु—सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाएं, और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं,

(एक) सहायक परिचालक के पद के लिये 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये और;

(दो) शेष पदों के लिए बीस वर्ष की हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र न होंगे।

12—वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। भर्ती के लिए शारीरिक स्तर वही होगा, जो कि पुलिस विनियमों में समतुल्य श्रेणियों में लिए दिया गया है। किसी अभ्यर्थी को जो कि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस विनियमों की अपेक्षानुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

## भाग-पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा।

15—(1) विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायगा

(क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक के पद लिए—

(एक) राज्य रेडियो अधिकारी,

(दो) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक,

(तीन) अपर राज्य रेडियो अधिकारी या उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट सहायक रेडियो अधिकारी।

(ख) रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पदों के लिए—

(एक) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)

(दो) राज्य रेडियो अधिकारी,

(तीन) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा से निम्न पद का न हो।

(ग) रेडियो निरीक्षक के पद के लिए—

(एक) पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अपर पुलिस महानिरीक्षक।

(दो) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार),

(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी।

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम 6 के अधीन आरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हतायें रखते हों। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों संख्या, यथाशक्य, रिक्तियों की संख्या से दुगनी होगी। यदि किसी भी श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक हो, तो समिति अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धता और अनुभव के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगी और एतत्पूर्व उल्लिखित संख्या से अधिक उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी, जितनी वह आवश्यक समझे।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम, पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

16—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 15 के अधीन गठित अलग-अलग चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ज्येष्ठता क्रम में, अभ्यर्थियों की एक पात्रता-सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और, यदि वह आवश्यक समझे, तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17—संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों में से ऐसी रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा :

दृष्टान्त—

(एक) यदि किसी सेवा में नियुक्ति सीधी भर्ती (सी० भ०) और पदोन्नति (प) दोनों प्रकार से 75:25 के अनुपात में की जानी हो और किसी विशिष्ट वर्ष में, 20 रिक्तियाँ हों, तो ऐसी स्थिति में 15 रिक्तियां सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों को और 5 रिक्तियां पदोन्नति किये गये व्यक्तियों को दी जायगी चयन किये जाने के पश्चात संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायगी :—

| | |
|---|---|
| 1—प० | 11—सी० भ० |
| 2—सी० भ० | 12—सी० भ० |
| 3—सी० भ० | 13—प० |
| 4—सी० भ० | 14—सी० भ० |
| 5—प० | 15—सी० भ० |
| 6—सी० भ० | 16—सी० भ० |
| 7—सी० भ० | 17—प० |
| 8—सी० भ० | 18—सी० भ० |
| 9—प० | 19—सी० भ० |
| 10—सी० भ० | 20—सी० भ० |

(दो) यदि उपर्युक्त स्थिति में किसी वर्ष (एक्स) में, विहित कोटा के अनुसार भर्ती के बजाए, 8 व्यक्ति पदोन्नति द्वारा और 12 व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किये जायं और नियम या जहां कोई नियम न हो, वहां तत्समय प्रवृत्त सुसंगत आदेश किसी भी स्रोत से न भरी गई रिक्तियों को अन्य स्रोत से भरे जाने की अनुज्ञा न दे और सीधी भर्ती के कोटे की कमी को दूसरे वर्ष (वाई) में, 20 रिक्तियों म से 18 सीधी भर्ती से और 2 पदोन्नत व्यक्तियों की भर्ती से पूरा किया जाय तो (एक्स) और (वाई) वर्ष की संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायगी :—

| (एक्स) वर्ष | (वाई) वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1—प | 10—सी0भ0 | 1—सी0भ0 | (एक्स) वर्ष का न भरा गया कोटा | 11—सी0भ0 |
| 2—सी0भ0 | 11—सी0भ0 | | | 12—प (एक्स) वर्ष का आधिक्य |
| 3—सी0भ0 | 12—सी0भ0 | 2—सी0भ0 | | |
| 4—सी0भ0 | 13—प | 3—सी0भ0 | | 13—सी0भ0 |
| 5—प | 14—सी0भ0 | 4—प (एक्स) वर्ष का आधिक्य | | 14—सी0भ0 |
| 6—सी0भ0 | 15—सी0भ0 | 5—सी0भ0 | | 15—सी0भ0 |
| 7—सी0भ0 | 16—सी0भ0 | 6—सी0भ0 | | 16—प |
| 8—सी0भ0 | 17—प | 7—सी0भ0 | | 17—सी0भ0 |
| 9—प | | 8—प (एक्स) वर्ष का आधिक्य | | 18—सी0भ0 |
| | | 9—सी0भ0 | | 19—सी0भ0 |
| | | 10—सी0भ0 | | 20—प |

(तीन) यदि, दृष्टांत (दो) में वर्णित मामले में, नियम या जहां कोई नियम न हो, वहां तत्समय प्रवृत्त सुसंगत आदेश में किसी स्रोत से भरी न गई रिक्तियों को विनिर्दिष्ट आकस्मिकता में अन्य स्रोतों से भरे जाने की व्यवस्था हो और सीधी भर्ती की भरी न गई तीन रिक्तियां पदोन्नति द्वारा इस प्रकार भरी जायं तो संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में होगी :—

| | |
|---|---|
| 1—प | 11—सी0भ0 |
| 2—सी0भ0 | 12—सी0भ0 |
| 3—सी0भ0 | 13—प |
| 4—सी0भ0 | 14—सी0भ0 |
| 5—प | 15—सी0भ0 |
| 6—सी0भ0 | 16—सी0भ0 |
| 7—सी0भ0 | 17—प |
| 8—सी0भ0 | 18—प |
| 9—प | 19—प |
| 10—सी0भ0 | 20—प |

18—नियुक्ति—(1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उनके द्वारा बंधपत्र निष्पादित करने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष में, नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोत से चयन न कर लिया जाय और नियम ... के अनुसार ... न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा। जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में या जैसी स्थिति चयन में अवधारित उनकी ज्येष्ठता क्रम में रही हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो, किया जायगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हों, तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक के लिये, इनमें से जो भी पहले हो, की जायगी।

19—प्रशिक्षण—सेवा में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसा समय-समय पर विहित किया जाय।

टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विहित प्रशिक्षण परिशिष्ट "क" में दिया गया है।

20—परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा निश्चित दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और/या (जहां उपबन्धित हो) विहित पाठ्यक्रम प्राप्त कर लिया हो,

(दो) उसने विहित प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो (जहां उपबन्धित हो) ;

(तीन) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय ;

(चार) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ; और

(पांच) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

22—ज्येष्ठता—(1) एतत्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम में अवधारित की जायगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय, जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और, अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं, तो ज्येष्ठता वही होगी, जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित की जाय।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया ।

(4) जहां नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों ही प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जाय और प्रत्येक स्रोत का अलग अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में चक्रानुक्रम में, उनके नाम रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु—

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाय, वहां कोटा से अधिक नियुक्त किये गये व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए, ऐसे अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे रखा जायगा ।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम हो और ऐसी भरी न गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाय , वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष में उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता मिलेगी, किन्तु इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे जिसके बाद नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के नाम, चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां, नियम या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी न गई रिक्तियां, सुसंगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में, अन्य स्रोतों से भरी जाय और इस प्रकार कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों को उस वर्ष विशेष की ज्येष्ठता दी जायगी, मानों उन्हें अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया हो ।

## भाग सात—वेतन इत्यादि

23—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :—

(1) कर्मशाला कर्मचारी . . 330-7-365-8-381-8-405-9-450-9-495 रुपया।

(2) सहायक परिचालक . . 400-10-450-12-474-12-570-15-615 रुपया।

(3) प्रधान परिचालक . . 470-15-575-15-650-17-701-17-735 रुपया।

(4) रेडियो स्टेशन अधिकारी . . 515-15-590-18-626-18-680-20-860 रुपया।

(5) रेडियो अनुरक्षण अधिकारी . . 570-25-770-30-980-30-1100 रुपया।

(6) रेडियो निरीक्षक . . 690-40-970-48-1050-50-1200-50-1300-60-1420 रुपया।

टिप्पणी—सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विशेष वेतन/व्यवसाय वेतन और अन्य भत्ते पाने के भी हकदार होंगे।

24—परिवीक्षा-अवधि में वेतन—(1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहां विहित हो, प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में

सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

25--दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड--(1) किसी फर्म शाला कर्मचारी को उसकी दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) किसी सहायक परिचालक को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और वह रेडियो संचार प्रक्रिया से पूर्णतया परिचित न हो, उसने परिश्रम और बुद्धिमत्ता से कार्य न किया हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसे स्वतंत्र रूप से रेडियो स्टेशन पर कार्य करने में उपयुक्त न समझा जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(3) किसी प्रधान परिचालक को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, वह किसी व्यस्त रेडियो स्टेशन पर स्वतंत्र रूप से, बिना किसी पर्यवेक्षण के कार्य करने के योग्य न हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, उसने रेडियो स्टेशनों के व्यस्त तंत्र को नियंत्रित करने की योग्यता प्रदर्शित न की हो और नेतत्व की योग्यता का प्रदर्शन न किया हो और रेडियो संचार उपकरण का संस्थापन, परिचालन और अनुरक्षण न कर सकता हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(4) किसी रेडियो स्टेशन अधिकारी को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, उसने श्रेणी एक स्तर की अपनी वृत्तिक प्रवीणता न बनाये रखी हो और परिश्रम, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व गुण का प्रदर्शन न किया हो, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसने अपने कार्य में परिश्रम, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व गुण और वृत्तिक निपुणता का प्रदर्शन न किया हो, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(5) किसी रेडियो अनुरक्षण अधिकारी को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, उसने परिश्रम, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व गुण और तकनीकी प्रवीणता का प्रदर्शन न किया हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और रेडियो स्टेशन और सभी प्रकार की कर्मशालाओं का संस्थापन, अनुरक्षण और नियंत्रण करने में उसने उच्च श्रेणी की तकनीकी निपुणता और नेतृत्व गुण और प्रबन्ध कौशल का प्रदर्शन न किया हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(6) किसी रेडियो निरीक्षक को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, वह स्वतंत्र रूप से पुलिस रेडियो संगठन शाखा का प्रबन्ध करने के योग्य न हो और नेतृत्व गुण और जन प्रबन्ध कौशल का प्रदर्शन न किया हो और आद्यावधिक वृत्तिक ज्ञान और निपुणता न रखता हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, वह सौंपे गये कठिन कार्य को सफलतापूर्वक करने के योग्य न हो और नेतृत्व गुण और जन प्रबन्ध कौशल का प्रदर्शन न किया हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

## भाग आठ—अन्य उपबन्ध

26—पक्ष समर्थन—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों में अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

27--अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

28—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

29--व्यावृत्ति—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

## परिशिष्ट "क"

### प्रशिक्षण

1--सीधी भर्ती किये गये रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को पुलिस रेडियो शाखा के मुख्यालय पर छः मास की अवधि के लिए रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करना होगा । इस पाठ्यक्रम के अन्त में उनसे अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी । जो अर्हता प्राप्त कर लेंगे, उन्हें पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में चार माह का अग्रतर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

2--पदोन्नत रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से जिसे उप महानिरीक्षक (दूर संचार)

...मास का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण ... उनसे परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी। ... भर्ती किये गये रेडियो स्टेशन अधिकारियों को पुलिस ...शाखा के मुख्यालय पर आठ मास की अवधि के लिए तकनीकी ...क्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करना होगा। प्रथम चार मास ... [illegible] टेक्निकल स्टैण्डर्ड्स कमेटी रिपोर्ट में यथाविहित रेडियो परिचालक परीक्षा श्रेणी–दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी और अन्तिम रूप से उनसे परिचालक परीक्षा श्रेणी–एक और तकनीशियन परीक्षा श्रेणी–दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी, जो नियत अवधि के भीतर इस स्तर को प्राप्त करने में असफल रहेंगे उन्हें सेवोन्मुक्त कर दिया जायगा। उनसे परिचालक परीक्षा श्रेणी–एक और तकनीशियन परीक्षा श्रेणी–दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी। जो नियत अवधि के भीतर इस स्तर को प्राप्त करने में असफल रहेंगे, उन्हें सेवोन्मुक्त कर दिया जायगा। आठ मास के प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा कर लेने के पश्चात् शिक्षु रेडियो स्टेशन अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में चार मास का पुलिस प्रशिक्षण दिया जायगा। तत्पश्चात् उनको पुलिस रेडियो शाखा के रेडियो स्टेशनों/अनुभागों में छः मास की अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

४––पदोन्नत रेडियो स्टेशन अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से जिसे उप महानिरीक्षक (दूर संचार) अवधारित करें, छः मास का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कमेटी रिपोर्ट में यथाविहित तकनीशियन परीक्षा श्रेणी–दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी।

५––प्रधान परिचालकों से ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से जिसे राज्य रेडियो अधिकारी, उप महानिरीक्षक (दूर संचार) की सहमति से अवधारित करें, चार मास के लिए परिचालक पाठ्यक्रम श्रेणी–एक में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे टेक्निकल स्टैन्डर्ड्स कमेटी रिपोर्ट में यथा विहित परिचालक परीक्षा श्रेणी–एक उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी।

6––सहायक परिचालकों से ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से, जिसे राज्य रेडियो अधिकारी उप महानिरीक्षक (दूर संचार) की सहमति से अवधारित करे, चार मास के लिए परिचालक पाठ्यक्रम श्रेणी–दो में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायगी। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे टेक्निकल स्टैन्डर्ड्स कमेटी रिपोर्ट में यथाविहित परिचालक परीक्षा श्रेणी–दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी।

7––सीधी भर्ती किये गये शिक्षु, परिचालक और ऐसे कर्मशाला कर्मचारियों को, जिनका चयन परिचालक प्रशिक्षण के लिए किया गया हो, पुलिस रेडियो शाखा मुख्यालय पर छः मास की अवधि के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे टेक्निकल स्टैन्डर्ड कमेटी रिपोर्ट में यथाविहित परिचालक परीक्षा श्रेणी–तीन उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी।

8––मास्टर ट्रेड हैण्ड वर्ग के लिए चयन किये गये प्रधान परिचालकों को ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से, जिसे राज्य रेडियो अधिकारी उप महानिरीक्षक (दूर संचार) की सहमति से अवधारित करे, छः मास का प्रशिक्षण दिया जायगा। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे मास्टर ट्रेड हैण्ड टेक्निशियन टेस्ट उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी।

9––उप-नियम (1) से (8) के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, जो अपेक्षित प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम प्राप्त करने में विफल रहे या विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होने में विफल रहे, सीधी भर्ती की स्थिति में सेवोन्मुक्त कर दिये जायेंगे और पदोन्नत व्यक्तियों की स्थिति में उन्हें उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा, जिसके लिए वे किसी प्रतिकर के हकदार न होंगे।

आज्ञा से,
रामचन्द्र टकरू,
गृह सचिव।

टिप्पणी––राजपत्र दिनांक 20-11-82, भाग 1–क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी०एस०यू०पी०––21 सा० (गृह पुलिस)––6-12-82––1500(मोनो)।